न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी : बलवीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : प्रार्थना पत्र
प्रकरण संख्या : 1/2013

1. रामधन यादव पुत्र श्री गोपाल यादव, जाति अहिर (यादव) निवासी मांगलवाड़ा,तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. संतोषदेवी पत्नी रामस्वरूप यादव, जाति अहीर (यादव) निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. गजराज कंवर पत्नी नाहरसिंह , जाति राजपूत निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
3. रत्तु कंवर पुत्री नाहरसिंह, जाति राजपूत निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. ओंकार सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति राजपूत निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. गलकूदेवी पत्नी रंगलाल, जाति जाट निवासी खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
   शान्ति पत्नी रामलाल, जाति जाट, निवासी खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. काना पुत्री मांगू, जाति जाट, निवासी खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
8. रामलाल पुत्र मांगू, जाति जाट निवासी खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
9. छीतरमल पुत्र गंगाराम , जाति जाट, निवासी खुड़ियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
10. छोटु पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
11. नन्दा पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद,जिला जयपुर राज0।
12. हरलाल पुत्र लादू, जाति जाट, निवासी मांगलवाड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
13. ओमप्रकाश पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहाण निवासी मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
14. हरिसिंह पुत्र रामकरण, जाति जाट निवासी गाडोती, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर. मुक्ट पत्थरगढ़ी करने बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. विपक्षी संख्या संख्या 1 से 13 अनुपस्थित।

3. विपक्षी संख्या 14 की और से श्री निरंजन पारीक उप0।

:: **आदेश** ::

दिनांक :– 17/06/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव नांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 385 की आराजी ख0न0 1555 रकबा 0.9700 व ख0न0 1556 रकबा 0.4100 है0, ख0न0 1557 रकबा 0.4100 है0, आराजी ख0न0 1558 रकबा 2.9700 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.7600 है0 प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है॥ प्रार्थी के लगावा विपक्षी संख्या 2 से 14 की आराजीयात स्थिति है। प्रार्थीगण की आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 13 पडौसी खातेदार काश्तकार है, जो प्रार्थीगण के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद रखते हैं। पडौसी खातेदार काश्तकार आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थीगण से विवाद रखते है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते हैं, मेर कांकर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीगण अपने खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। के लगवा विपक्षी सं 1 से 14 की कृषि भूमियां स्थित है। प्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान आदेश क्रमांक /एल.आर./2022/1968–1969 दिनांक 27.04.2022 की पालना में दिनांक 05.05.2022 को उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी 14 की और से श्री सुरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता ने वकालत–पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 04 से 17 बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 की और से पेश जवाब प्रा0पत्र0 पेश किया गया जो शामिल पत्रावली कर पत्रावली बहस में नियत हुई।

उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षीगण मेर सिव को आये दिन विवाद करते रहते है। अतः प्रार्थीगन का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे। विपक्षी संख्या 14 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की आराजीयात के साथ अप्रार्थी संख्या 14 की आराजीयात की भी पत्थरगढी की जाने पर अनापत्ति जाहिर कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 14 की आराजीयात की पत्थरगढी का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 385 की आराजी ख0न0 1555 रकबा 0.9700 व ख0न0 1556 रकबा 0.4100 है0, ख0न0 1557 रकबा 0.4100 है0, आराजी ख0न0 1558 रकबा 2.9700 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.7600 है0 में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजीयात का तहसीलदार मौजमाबाद आदेश कमांक भू0अ0/2022/1968–69 दिनांक 27.04.2025 के कम में सीमाज्ञान किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 14 के द्वारा पत्रावली में अपनी आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व सम्बन्धी कोई भी सरकारी दस्तावेज यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थी संख्या 14 की पत्थरगढी किये जाने वाली आराजीयात का चिन्हीकरण किया जा सके अतः अप्रार्थीगण संख्या 14 का प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त सीमाज्ञान के बावजूद प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 से 14 की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद के कारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का प्रा0पत्र पेश किया।

अतः भविष्य में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 से 14 के मध्य कानून पेचीदगीया न बढें व पक्षकारो की आराजीयात की सीमाओ का सही निर्धारण हो इस बाबत प्रार्थी अपनी आराजीयात मे पत्थरगढी कराने की अधिकारी साबित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं आदेश सुनाया जाता है--

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 385 की आराजी ख0न0 1555 रकबा 0.9700 व ख0न0 1556 रकबा 0.4100 है0, ख0न0 1557 रकबा 0.4100 है0, आराजी ख0न0 1558 रकबा 2.9700 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 4.7600 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं राजस्व गांव मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद में स्थिति विपक्षी संख्या 2 से 14 की आराजीयात के मध्य मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में आवश्यकता होने पर जरिये पुलिस इमदाद प्राप्त कर कब्जा होने पर कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

पीरा प्रावीजन के नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार मौजमाबाद को तदनुसार आदेश होकर पत्रावली सुधार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13/06/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)